सं.10/7/2017-सीएसआर(पार्ट)

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 25.01.2018

सेवा में,

सभी कंपनी रजिस्ट्रार,

सभी प्रादेशिक निदेशक

**विषय- केंद्रीय सरकार की निधियों के अलावा निधियों के अंशदान के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण के संबंध में।**

महोदय,

हितधारकों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या कंपनियां अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची VII में उल्लिखित अनुसार क्षेत्रों में व्यय करने के उद्देश्य के लिए या सीएसआर गतिविधियों आदि का संचालन करने के उद्देश्य के लिए ऐसी निधि में सीएसआर निधियां दे सकती हैं जो सरकार द्वारा स्थापित संस्था को छोड़कर (जो कंपनी, सोसायटी आदि हो सकती है) के अलावा किसी निकाय द्वारा स्थापित में निधि दे सकते हैं।

2. मंत्रालय में मामले की जांच की गई और निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिए गए हैं-

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (सीएसआर नियम) में उल्लिखितनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, या ऐसे अंशदान के लिए नामित निधियों में ही सीएसआर निधियों के अंशदान की अनुमति दी जाती है अन्य किसी निधि में नहीं। प्राइवेट निधियों जैसे बिना लाभ के उद्देश्य वाली कंपनियों आदि द्वारा स्थापित प्राइवेट निधियों में योगदान की सीएसआर नियमों के अनुसार अनुमति नहीं है।

3. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआर नियमों के नियम 4(2) और (3) के अनुसार कंपनियों को अपनी सीएसआर गतिविधियां अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किसी कंपनी द्वारा या एकल या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित पंजीकृत किसी ऐसे ट्रस्ट या किसी ऐसी सोसायटी द्वारा किए जाने की अनुमति दी जाती है जो पिछले तीन वर्ष से इसी तरह के कार्यक्रम या परियोजनाएं कर रही है, और कंपनी ने की जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों की निधियों के उपयोग के तरीके और निगरानी एवं रिपोर्टिंग तंत्र का विवरण दिया हा। प्रासंगिक कंपनियों की सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदितनुसार यह दूसरी कंपनियों के सहयोग से भी किया जा सकता है।

4. यह सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सीमा रथ)

उप निदेशक

दूरभाष - 011-23384657